

## ANNEXURE V

### Affidavit by

### PARENTS/GUARDIAN OF THE STUDENT RESIDING IN PG/ RENTED ACCOMMODATION

I, Mr./Ms. \_\_\_\_\_ father / mother / guardian of \_\_\_\_\_,

Reg. No \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ <Programme> in Lovely Professional university, Phagwara hereby undertake that my ward is not availing the residential facility of the University and intends/ is residing in PG/ Rented accommodation outside the University premises. I will ensure that I/ my ward abide by all the guidelines, instructions, policies etc. whatsoever issued by the university in respect of the students residing in such accommodation from time to time and I also undertake that I will be myself responsible if my ward is found guilty of any disciplinary misconduct including but not limited to the following acts and/ or of any act which is prohibited under any law of land or regulations or by any competent authority as in force from time to time:

- a) Misbehaviour, cruelty or physical assault or threat to use physical force, against any person.
- b) Carry of, possession, use of, or threat to use or abetting the use of any kind of weapons including sticks, rods, guns, swords, knives, etc. and any kind of firework, crackers or any other explosives or anything which are barred by the law;
- c) Possession, use of or dealing with or abetting the use of any kind of intoxicating material including alcohol, drugs of any kind, gutka, tobacco, cigarettes or any other sedative materials;
- d) Any violation of the provisions of the Civil Rights Protection Act, 1976 or any other law for the time being in force;
- e) Indulging in or encouraging violence or any conduct which involves moral turpitude;
- f) Any form of gambling;
- g) Drinking or smoking;
- h) Any practice-whether verbal or otherwise-derogatory of women;
- i) Any attempt or threat to commit suicide or likewise or abetting or inciting any other person to commit suicide or anything unwarranted and/or prohibited by law or otherwise;
- j) Ragging/indiscipline/misbehaviour/hooliganism etc.

Place : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

☒ \_\_\_\_\_  
Signature of Deponent

### VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at \_\_\_\_\_ (place) \_\_\_\_\_ on this the \_\_\_\_\_ (day) \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ month \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (year).

☒ \_\_\_\_\_  
Signature of Deponent

## ANNEXURE V

### शपथ पत्र

माता-पिता / किराए पर दिए गए या अन्य निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता / कानूनी अभिभावक की तरफ से

मैं, श्री / श्रीमती \_\_\_\_\_ पिता / माता / कानूनी अभिभावक  
पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_

पाठ्यक्रम \_\_\_\_\_ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा, सुनिश्चित करता हूँ कि मेरा अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी द्वारा दी जा रही आवासीय सुविधाएं नहीं ले रहा है और परिसर के बाहर व्यक्तिगत तौर पर/ पेइंग गैस्ट/ किरायेदार के रूप में रह रहा है। मैं यह वचन देता हूँ कि उन सभी दिशा-निर्देशों व नीतियों आदि का, जो भी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर इस तरह के आवास में रहने वाले छात्रों के संबंध में जारी किए जाते हैं, पालन करेंगे और मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि मेरा अभ्यर्थी किसी भी अनुशासनात्मक दुराचार का दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा। यह मात्र निम्नलिखित कृत्यों और / या किसी भी अधिनियम के लिए सीमित नहीं है, बल्कि उसके लिए भी जो कि भूमि या नियमों के किसी भी कानून के तहत या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किया जाता है:

- i) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, क्रूरता या शारीरिक हमला या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी।
- ii) लाठी, सरिया, बंदूक, तलवार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशबाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं;
- iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग;
- iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन;
- v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है;
- vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि);
- vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान;
- viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार;
- ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो;
- x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि।

\_\_\_\_\_  
माता-पिता/ अभिभावक का हस्ताक्षर

दिनांक: \_\_\_\_\_

जगह: \_\_\_\_\_

### सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि इस हलफनामे में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या गलत नहीं कहा गया है।

सत्यापन स्थान \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
माता-पिता/ अभिभावक का हस्ताक्षर